सं0 15/1/झारखण्ड/2015–समन्वय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) के मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 04.11.2015

बैठक में उपस्थित : परिशिष्ट –I

आयोग ने दिनांक 04/11/2015 को झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) के मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक रखी थी जिसके प्रत्युत्तर में मुख्य सचिव ने पत्र दिनांक 02/11/2015 (ई-मेल जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दिनांक 03/11/2015 को प्राप्त हुआ) द्वारा आयोग को सूचित किया कि प्रधानमंत्री जी के साथ दिनांक 04/11/2015 को प्रगति की ऑन लाइन बैठक होने के कारण वह आयोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे तथा उन्होंने सचिव, कल्याण विभाग को चर्चा के लिए नामित किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बैठक में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों से विचार व्यक्त किया कि आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियिम, 1989 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा समीक्षा की जाती है। साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (यथा संशोधित) नियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे मामलों के पीड़ितों को रहत राशि वितरण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामलों का परिवेक्षण, न्यायालयों की सुनवाई आदि मामलों पर भी अनवीक्षण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को दी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित की जाती है। अतः आयोग चाहता है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षणों पर राज्य द्वारा किए गए कार्यों को सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा के लिए बैठक की अगली तिथि सुनिश्चित करेगा।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुलग्नक–1

15/Jharkhand/2015/Cord.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष (अध्यक्षता)
2. श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक
3. श्री एस. पी. मीना, सहायक निदेशक
4. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
5. श्री हरिराम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

झारखण्ड सरकार के अधिकारी

1. श्री नीरज सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
2. श्री राजीव अरुन इक्का, सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग